देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2023/mmp/38 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 27 सितम्बर 2023

जेडीए के ज़ोन 12 मे स्थित ग्राम माचवा के खसरा संख्या 450 मे स्थित कल्याण जी महाराज की मंदिर माफी की करीब 5 बीघा कृषि भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा बसायी जा रही अवैध कॉलोनी!!!

"शांतिकुंज"

भाग-1

जेडीए के तमाम दावों के बावजूद,ग्राम माचवा के खसरा संख्या 450 मे स्थित कल्याण जी महाराज की मंदिर माफी की करीब 5 बीघा कृषि भूमि पर बसायी जा रही है यह अवैध कॉलोनी!!!

फर्जी सोसाईटी के फर्जी पट्टों से काटे जा रहे मंदिर माफी की इस कृषि भूमि पर रसुखदारों के फर्म हाउस!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

JDA ने चलाया पीला पंजा: 3 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, कॉलोनी की सड़कों को JCB की सहायता से तोड़कर किया धवस्त

भूं 3 महीने पहले

जेडीए के दावो की पोल खोल रहे जयपुर के भूमाफिया,जेडीए से बिना स्वीकृति कृषि भूमियों पर बसा रहे आवासीय कॉलोनियाँ|

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते कृषि भूमियों पर बस रही आवासीय कॉलोनियों मे कमी आई है और जयपुर के कोलोनाईजर अब जेडीए से स्वीकृति के बाद ही कॉलोनियों का निर्माण कर रहे है|लेकिन भूमाफियाओं की मनमानी के सामने शायद यह जेडीए के कर्ता-धर्ताओ की खुशफहमी साबित हो रही है|आपको बता दें कि विगत 5 सालों मे जेडीए की प्रवर्तन शाखा द्वारा सैंकड़ों अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाये गए है,लेकिन इसके बावजूद जेडीए के बाहरी इलाकों मे इन अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आई हुई है|

Jaipur में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ JDA की कार्रवाई, मचा हड़कंप

JDA ने 5 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

Published on: Jan 28, 2021, 1:31 AM IST

गृह निर्माण सहकारी समितियों पर सरकार का डंडा : 1999 के बाद काटे गए भूखंड और पट्टों को कानूनी मान्यता नहीं

डेडलाइन 31 दिसंबर, 2001

इस तारीख तक जिनके रिकॉर्ड जेडीए में जमा हो चुके उनके ही मिलेंगे पट्टे

जयपुर | जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 के बाद सृजित, विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों या कृषि भूमि पर बनाये गए भूखंडों के नियमन, आवंटन के लिए गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को कोई कानूनी मान्यता नही है। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने बताया कि कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 तक विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन के संबंध में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को मान्यता दी गई है। गृह निर्माण सहकारी समितियों से 17 जून, 1999 से पूर्व जारी पट्टों की सूची रिकॉर्ड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 31 दिसम्बर, 2001 तक जमा करा लिया गया था और जेडीए द्वारा ऐसे भूखण्ड धारी सदस्यों की सूची भी पुस्तिकाओं रूप में मुद्रित करा ली गई थी। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जो भी रिकॉर्ड उस समय तक संधारित किया गया था। उसमें से यदि पट्टे अभी तक जारी नहीं किए गए हैं तो वह ही रिकॉर्ड मान्य होगा जो जेडीए द्वारा मुद्रित बुकलेट में शामिल हैं। उसके बाद यदि किसी समिति द्वारा कोई रिकॉर्ड अब प्रस्तुत किया जाता है, तो वह विधि मान्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की केवल उसी सदस्यता सूची और पट्टों को मान्यता दी जावेगी, जो कि जेडीए में 31 दिसम्बर, 2001 तक प्रस्तुत किये जा चुके है तथा जिनका पुस्तिकाकरण हो चुका है। यदि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जेडीए में प्रस्तुत सूची के बाद भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का बेचान किया गया है या विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हुआ है ऐसे मामलों में जेडीए द्वारा नाम हस्तान्तरण की मान्यता दी जायेगी।

बैकडेट के पट्टे होंगे अवैध

यदि कोई आवासीय कॉलोनी 17 जून, 1999 के बाद बिना अनुमति के विकसित हो गई है, तो ऐसी कॉलोनियों में गृह निर्माण सहकारी समितियों के रिकॉर्ड के आधार पर नियमन नहीं किया जाएगा, साथ ही उनके द्वारा जारी किए गये पट्टे जो 17 जून, 1999 के पूर्व के जारी किये दर्शाए गए हैं, उन्हें वास्तविकता में वर्तमान में बैक डेट में जारी किये गए माने जाकर विधि मान्य नहीं माने जाएंगें।

ऐसे भूखंडधारकों को कैसे मिलेंगे वैध पट्टे

1999 के बाद के भूखण्डधारियों ने यदि भूखंडों पर आवास या आंशिक निर्माण, चारदीवारी का निर्माण कर लिया है एवं उस पर भूखण्ड धारी का कब्जा है तो वे राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत ले-आउट के साथ आवेदन कर सकते हैं। जेडीए द्वारा भूखंडों का सर्वे करवाकर सूचियां तैयार कर नियमन किए जा सकेंगे। भूखंडधारी को निर्माण संबंधी कोई एक सबूत दस्तावेज कब्जे की पुष्टि करने के रूप प्रस्तुत करना होगा। जिसमें बिजली/पानी/टेलिफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, सम्पति दस्तावेज आदि जमा करा सकते हैं।

31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

जेडीए ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही करीब 31 कॉलोनियों (Jaipur JDA Illegal colony Action) की खातेदारी निरस्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है। वहीं जेडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई में खर्च की राशि वसूल करने के भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जेडीए ने 10 काश्तकारों को नोटिस दिए है।

जे.डी.ए. के ज़ोन 12 मे स्थित ग्राम माचवा के खसरा संख्या 450 मे स्थित कल्याण जी महाराज की मंदिर माफी की करीब 5 बीघा कृषि भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा बसायी जा रही अवैध कॉलोनी!!!

“शांति कुंज”

जयपुर शहर के बाहरी इलाको के ज़ोनो मे कृषि भूमियों को बिना भू-रूपांतरित करवाए ,उन पर कॉलोनियाँ बसाने का धंधा जोरों पर है|इन ज़ोनो मे एक ज़ोन 12 भी है,जहां ताबड़तोड़ अवैध कोलोनियों को बसाने का काम जोरों पर चल रहा है|जेडीए की लगातार कार्यवाहियों के बावजूद इन पर लगाम नही लग पा रही है|आपको बता दें कि कृषि भूमियों पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों मे एक नाम और शुमार हो गया है जिस स्कीम का नाम शांति कुंजहै|उपलब्ध जानकारी के अनुसार जेडीए के ज़ोन 12 मे स्थित ग्राम माचवा के खसरा संख्या 450 मे स्थित कल्याण जी महाराज की मंदिर माफी की करीब 5 बीघा कृषि भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा शांति कुंज नाम से अवैध कॉलोनी बसायी जा रही है|

कैसे खेला जा रहा मंदिर माफी की जमीन पर कब्जे का खेल?

सूत्रों के अनुसार जेडीए के ज़ोन 12 मे स्थित ग्राम माचवा के खसरा संख्या 450 मे स्थित कल्याण जी महाराज की मंदिर माफी की करीब 5 बीघा कृषि भूमि पर कुछ भूमाफियाओ द्वारा तथाकथित पुजारी से साँठ-गांठ कर,बेकडेट मे एग्रीमेंट कर एवं फजी सोसाईटी के पट्टों के आधार पर कब्जा कर लिया गया है|सूत्रों के अनुसार यह बेशकीमती जमीन अंसल सिटी आउट ओके प्लस की भूमि के बीच स्थित है,जिसके चलते इस कृषि भूमि की बाजार कीमत करोड़ों रुपये है|ग्रामवासियों के अनुसार इस जमीन पर वर्ष 2005 मे भी कब्जा कर अवैध निर्माण करने की कोशिशे की गई थी लेकिन तत्कालीन SDM और तहसीलदार द्वारा इस जमीन को भूमाफियाओ से मुक्त करवाया गया था|

वर्तमान मे राज्य के एक बड़े मंत्री की धोंस दिखा कर,कुछ भूमाफियाओ द्वारा पुनः इस जमीन पर कब्जा कर,अवैध निर्माण करवाया जा रहा है,पूर्व मे JDA को इस मामले की सूचना दी गई थी लेकिन शायद इन भूमाफियाओ को JDA के अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त है|जिसके चलते लाख शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही JDA की प्रवर्तन शाखा द्वारा नहीं की जा रही हालांकि स्थानीय तहसीलदार द्वारा जरूर इस मामले मे संज्ञान लेकर,स्थानीय पटवारी और नायब तहसीलदार को मौका मुआयना करने और उचित कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए थे,जिसके चलते चार महीने पहले उक्त अवैध निर्माणों को रुकवाकर,अवैध निर्माणकर्ताओ को पाबंद किया गया था|स्थानीय प्रशासन का कहना है कि चूंकि यह क्षेत्र JDA के अंतर्गत आता है अतः अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाने की वास्तविक कार्यवाही JDA द्वारा ही अमल मे लाई जानी है|लेकिन आचार संहिता लगने की हलचल के साथ ही इस जमीन पर कब्जा करने के प्रयास पुनः तेज हो गए है और वर्तमान मे यहाँ पर कई फर्म हाउसों के अवैध निर्माण चालू है|

देखना यह है कि यह मामला पुनः JDA के आला अधिकारियों के संज्ञान मे आने के बाद वह इस मामले मे कार्यवाही कर,मंदिर माफी की जमीन को खाली करवाते है या फिर तथाकथित मंत्री की धोंस देने वाले भूमाफियाओ की धोंस मे आकर,अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड लेते है|

दिनांक 22/5/23

सेवा में

श्रीमान JDA मुख्य प्रवर्तन अधिकारी

....

....

विषय :— खसरा नं 450 ग्राम मांचवा मंदिर माफी भूमि में अवैध निर्माण व कॉलोनी फार्म हाउस का निर्माण करने बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम मांचवा में खसरा नं 450 मांचवा में स्थित है। जो श्री कल्याण जी मंदिर के नाम से खातेदारी स्थित है दिनांक 21/04/2023 को जे.डी.ए सी. आई श्रीमती निर्मला जी को फोटो भी भेजी थी कार्यवाही के लिए भी मौका दिखाया था लेकिन जे.डी.ए सी.आई ने मौका देखने के बाद भी कोई कार्यवाही नही और दो फार्म हाउस का निर्माण होकर तैयार हो गये।

यह भूमि अंसल सिटी — फर्स्ट व ओ.के प्लस ग्रुप की भूमि के मध्य स्थित है अतः यह भूमि वेश की भूमि है और करोड़ो रूपयों की भूमि है। अब शेष भूमि पर भी बाउण्डीवाल का काम चालू हो गया है और टीन शेड लगा दिया गया है और ब्लॉक की ईटे व बजरी खाली कर दियी गयी है अतः श्रीमान जी अनुरोध है कि मंदिर भूमि को मुक्त करवाकर उसको ग्राम पंचायत मांचवा के या जे.डी.ए अपना बोर्ड लगाकर सुरक्षित करने की कृपा करें।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि कुछ भूमि माफियों द्वारा मंदिर पुजारी विष्णु शर्मा से मिली भगत करके उस भूमि को खुर्द बुर्द करने की कोशिश की जा रही है अतः इस भूमि पर सन् 2005 में भी अवैध निर्माण किया गया था लेकिन एस.डी.एम जयपुर व तहसीलदार जयपुर द्वारा बाउण्ड्री वाल को हटाकर इसको भूमाफियों से मुक्त करवा गया था। श्रीमान जी उक्त प्रार्थना पत्र पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत

मांगीलाल

प्रार्थी

मांगीलाल पुत्र श्री धन्नाराम जाट

ग्राम मांचवा पिण्डोलाई

9772 323222

प्रपत्र पी-26 (
(देखिये नियम 153

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- मांचवा
पटवार हल्का :- मांचवा
भू.अभि.नि. :- मानवा
तहसील :- कालवाड़
जिला :- जयपुर

अंतिम नौंगाला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 234
खाता संख्या पुराना :- 208

काश्तकार का नाम:-
1. माफी मन्दिर श्री कल्याण जी बाके देह । हिस्सा- पूर्ण बाके देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
450	1.5808	बारानी 3	1.5808	3.13			
कुल खसरे - 1	1.5808		1.5808	3.1300			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |
नकल जारी करने की तिथि :- 16-May-2023

"T.C"

राजस्व रिकॉर्ड मे यह जमीन "माफी मंदिर श्री कल्याणजी के नाम दर्ज है|

आज दिनांक 12. 6. 2023 को श्रीमान तहसीलदार साहब कालवाड़ के मौखिक आदेश क्रम स ... बाबत मांचवा के ख.नं. 450 मंदिर माफी की भूमि पर कुछ लोगो द्वारा अवैध निर्माण करने की सूचना पर बहमराह भू. अ. निरीक्षक मांचवा के साथ मौके पर पहुंचा । मौके पर उक्त खसरा नम्बर मे एक निर्माणाधीन मकान जिस पर आर.सी.सी. की छत डली हुयी है एवं आगे मौके पर निर्माण कार्य चालू पाया गया मौके पर मौजूद कारीगर एवं मजदूरो को कार्य बन्द करने को कहा गया जिस पर मजदूरो ने काम बन्द कर दिया एवं निर्माणाधीन मकान के चालू कार्य को बन्द करवाया गया एवं मौके पर मौजूद विक्रम चौधरी को पाबन्द किया गया कि आगे से कोई निर्माण कार्य नहीं करे । एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया । फर्द मौका बनाया जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर कराये गये ।

विक्रम चौधरी 12/6/2023
पटवार मांचवा 12/6/2023
12.6.23 नायब तहसीलदार कालवाड़

सत्य प्रतिलिपि

नायब तहसीलदार और पटवारी की रिपोर्ट

मौके पर हो रहे अवैध निर्माण!!

नहीं थम रहा फर्जी कोऑपरेटिव सोसाईटियों का माया जाल

गत वर्ष दिसंबर माह मे पुलिस मुख्यालय मे हुई अपराध समीक्षा बैठक मे मुख्यमंत्री द्वारा राज्य मे जमीनो पर कब्जा करने,फर्जी पट्टे,एक प्लॉट के कई पट्टे जारी करने आदि मामलों और विवादित/सरकारी जमीनो पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओ के बढ़ते प्रभावों पर अंकुश लगाने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता मे कमिटी बनाने का एलान किया था|ऐसे मामलों पर चिंता जताते हुए उनके द्वारा बताया गया था कि जयपुर विवादित मामलों मे सिरमोर है,उनके अनुसार जयपुर मे ही जमीन विवादों से संबंधित 50 हजार शिकायते लंबित है|इसी के साथ उनके द्वारा अपराधियों से साँठ-गांठ करने वाले सरकारी अधिकारियों को भी आगाह करते हुए बताया गया था कि ऐसे मामलों मे सरकारी अधिकारियों की लिप्तता पाए जाने पर उन्हे तुरंत गिरफ्तार या बर्खास्त किया जाएगा|हालांकि प्रशासन लगातार ऐसे मामलों मे कार्यवाही कर रहा है,लेकिन इसके बावजूद भू-माफियाओ और फर्जी सोसाईटी माफियाओ के हौसले बुलंद है|

टोंक रोड पर करोड़ों की जमीन का है विवाद

मन्दिर में मिला विवादित सोसायटी का रिकॉर्ड

50K cases are related to disputed lands, plots in Jpr alone: Gehlot

From Page 1

Action will also be taken against employees having links with criminals even if senior police officers are involved.He said that the SPs have to crack down on gravel mafia and the government is strict on matters of disputed land. "Nowadays the land mafia is active, they sell the same land at many places. In Jaipur alone, 50,000 cases are related to disputed lands and plots." he said.

CM INSPECTS HI-TECH INTERCEPTORS

CM Ashok Gehlot inspected the interceptors being made available for the traffic police before the review meeting held at the Police Headquarters on Thursday. Additional Director General of Police VK Singh said that these 25 interceptors are equipped with modern 2022 digital GPS, WiFi, internet technology. It has Speed Laser Gun, which can measure the speed of vehicles from a kilometre's distance. It also has a high quality HD Camera.

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या वाकई मे इस मामले मे कोई मंत्री शामिल है या फिर महज उसके नाम की धोंस दी जा रही है?
2. आखिर कौन है यह भूमाफिया जो कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसा रहे है?
3. अब तक कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है यह भूमाफिया?
4. कौन है इस फर्जी सोसाईटी के कर्ता-धर्ता?अब तक जमीनो की धोखाधड़ी के कितने मामले दर्ज है इन लोगो के खिलाफ?
5. क्या इनके द्वारा बांटे जा रहे पट्टे वैध है?
6. अब तक इस मंदिर माफी की जमीन पर कितने प्लॉट बेचे जा चुके है?
7. क्या इन प्लॉटो को खरीदने वालों को इस जमीन की हकीकत मालूम है?
8. यदि अब जेडीए इस अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करता है तो इन ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी का जिम्मेदार कौन होगा?
9. कौन है जेडीए के इस ज़ोन-12 के प्रवर्तन अधिकारी?क्या उन्हे इस अवैध कॉलोनी के बारे मे जानकारी है?
10. क्या जेडीए के इस ज़ोन – 12 के प्रवर्तन अधिकारी इस अवैध कॉलोनी को बसाने के जिम्मेदार नहीं है?
11. इस अवैध कॉलोनी के विरुद्ध आज दिनांक तक कितनी शिकायते जेडीए को प्राप्त हुई?उन शिकायतों पर आज दिनांक तक जेडीए प्रवर्तन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?
12. क्या जेडीए इन भूमाफियाओं के विरुद्ध स्थानीय पुलिस मे मामला दर्ज करवाएगी?
13. क्या रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां महोदय इस गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?